कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/73/2025

श्री रघुवीर सिंह जाटव निवासी सुरसतपुरा, सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली राज0
मो.नं. 9783849658

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी, भरतपुर

......रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 24.10.2025

अपीलार्थी श्री रघुवीर सिंह जाटव निवासी सुरसतपुरा, सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली राज0 की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ऑनलाईन अपील सं0 060586227881509 इस आशय की प्राप्त हुई है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी भरतपुर से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/2025/893 दिनांक 13.10.2025 के द्वारा अपील की प्रति भेजकर लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी भरतपुर का जबाब पत्र क्रमांक आरटीआई/2025/1116 दिनांक 24.10.2025 से प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्डाधिकारी भरतपुर से प्राप्त जबाब दिनांक 24.10.2025 का अवलोकन किया गया, लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाब में कथन किया है कि "......... प्रार्थी द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रार्थना पत्र दिनांक 24.09.2025 को प्राप्त होने पर, चाही गई सूचना अस्पष्ट होने के आधार पर दिनांक 24.09.2025 को प्रार्थना पत्र ऑनलाईन ही खारिज कर दिया गया था।....''

अपील के साथ प्राप्त प्रार्थना पत्र आर.टी.आई. तारीखी 24.09.2025 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा बिन्दुवाईज सूचनायें चाही गई हैं। लोक सूचना अधिकारी ने बिना सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रार्थना पत्र के अवलोकन किये प्रार्थना पत्र गलत आधार पर खारिज किया गया है। जो गलत है। प्रार्थी / अपीलार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन पत्र में चाही गई सूचनायें नियमानुसार पाने का हकदार है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के तहत बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करावें। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भेजी जावे। साथ ही आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी उपखण्डाधिकारी भरतपुर को भी प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर